 स्वत्व वाद सं0 103 /2022

न्यायालय–अवर न्यायाधीश प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 103 /2022

फुलझारी देवी .....वादिनी।

बनाम्

मु0 शांति देवी वगै0..... प्रतिवादीगण।

आदेश

28.06.2023

उभय पक्षों की पैरवी हैं। वादिनी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक– 19.06.2023 में उभय पक्षों को सुना। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि दिनांक– 13.06.2022 को न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा आदेश पारित किया गया था तथा न्यायालय के आदेश के आलोक में अनुपस्थित प्रतिवादी पर गजट प्रकाशन का आदेश हुआ तथा प्रतिवादी उपस्थित भी हुये तथा जमीन विक्री के प्रयास में लगे हुये हैं। हालांकि न्यायालय के आदेश दिनांक– 13.06.2022 अभी भैकेट नहीं हुआ है तथा प्रतिवादी उक्त आदेश को खारिज कराकर जमीन विक्री करना चाहते हैं। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता अनुरोध करते हैं कि दिनांक– 13.06. 2022 के निषेधाज्ञा आदेश को मुकदमा के अंतिम फैसला तक कर दिया जाये जिससे जमीन की खरीद विक्री रूक सके तथा यथास्थिति बहाल रह सके। प्रतिवादी सं0 5 एवं 6 के तरफ से अनापत्ति दर्ज किया गया है। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता इन्तनाई आवेदन में यह कथन करते हैं कि वर्तमान वाद वादिनी ने बंटवारा हेतु दाखिल किया है तथा विवादित एराजी को प्रतिवादीगण विक्री करना चाहते हैं तथा उसका नवैयत बदलना चाहते हैं जब कि विवादित एराजी विक्री होने से वादिनी को काफी क्षति होगा। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि वादिनी की उम्र काफी जइफी हो गई है तथा प्रतिवादीगण पैतृक संयुक्त खतियानी एराजी को विक्री करने पर आमदा हैं और वादिनी को उसके हिस्से से वंचित करना चाहते हैं तथा बंटवारा भी करने को तैयार नहीं होते हैं। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि वादिनी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है तथा सुविध का संतुलन भी वादिनी के पक्ष में है तथा इन्तनाई नहीं होने से वादिनी को काफी क्षति होगी। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता का आगे का कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय के प्रतिपादित सिद्धांत 2001 (2) पी0 एल0 जे0 आर0 पेज 268 के आलोक में वादिनी का इन्तनाई आवेदन मंजूर होने योग्य है। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता अनुरोध

लगातार
28.06.2023

करते हैं कि विवादित एराजी का खरीद विक्री करने से या उसके नवैयत बदलने से मुकदमा के फेसले तक रोक दिया जाये। उक्त आवेदन पर प्रतिवादी सं0 5 एवं 6 के तरफ से अनापत्ति दर्ज किया गया है।

प्रतिवादी सं0 1, 2 एवं 7 के तरफ से दिनांक– 08.05.2023 को दाखिल प्रतिउत्तर में प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता यह कथन करते हैं कि वादिनी का आवेदन पोषणीय नहीं है, खारिज करने योग्य है तथा वर्तमान वाद के वादिनी तथा शेष प्रतिवादीगण आपस में मिले हुये हैं। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवकता का ये भी कथन है कि दिनांक– 13.06.2022 को दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन को बिना गुणदोष के अंतिम रूप से स्वीकृत करते हुये यथास्थिति बहाल रखने का आदेश दिया गया है। वादिनी तथा अन्य प्रतिवादीगण का दावा प्रथम दृष्टया सही नहीं है तथा सुविधा का संतुलन भी उनके पक्ष में नहीं है तथा निषेधाज्ञा आदेश पारित नहीं होने से वादिनी तथा अन्य प्रतिवादीगण को कोई क्षति नहीं होगा। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि प्रतिवादिनी सं0 7 की विवादित एराजी में **1/6** हिस्से की अधिकारी है तथा प्रतिवादी सं0 7 का कमाई को कोई साधन नहीं है जिसका पुत्र प्रतिवादी सं0 8 उड़ीसा राउरकेला में पढ़ाई करता है तथा उसके पढ़ाई और अच्छे देख रेख के लिए रूपये की सख्त आवश्यकता है। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का ये भी कथन है कि प्रतिवादिनी को हिस्सा हड़पने हेतु सिर्फ विक्री पर रोक लगाने हेतु वर्तमान मुकदमा दाखिल किया गया है साथ ही यह भी कथन किया गया है कि अन्य पक्षकारों ने भी कुछ भूमि का अंतरण किया है। अतः अनुरोध करते हैं कि वादिनी का निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक– 16.03.2022 को खर्चा के साथ खारिज किया जाये।

उभय पक्षों को पूर्व में सुना जा चुका है। अभिलेख का अवलोकन किया। उपरोक्त आवेदन को निस्तारण करने के लिए तथा निषेधाज्ञा आवेदन के लिए निर्धारित तीन बिन्दुओं का विचारण किया जायेगा।

प्रथमदृष्टया मामलाः– आदेश 39 नियम 1 सी0 पी0 सी0 के अन्तर्गत प्रथमदृष्टया मामला साबित करने के लिये वादिनी को यह साबित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वादिनी अपना स्वत्व संदेह से परे साबित करे, अपितु इतना ही पर्याप्त है कि वादिन एक विधिसम्मत प्रश्न विवादित सम्पत्ति के सम्बंध में न्यायालय के समक्ष रखने में समर्थ हो। इस वाद में वादिनी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वादिनी द्वारा यह वाद बंटवारा हेतु दाखिल किया गया है तथा उभय पक्ष एक ही खानदान के वंशज हैं तथा

लगातार
28.06.2023

वादग्रस्त सम्पत्ति खानदानी सम्पत्ति है। इस तथ्य से किसी भी पक्ष को इन्कार नहीं है तथा इससे सम्बंधित दस्तावेज भी दाखिल किये गये हैं। अतः उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वादिनी इस आवेदन के दृष्टि से प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में साबित करने में समर्थ प्रतीत होता है अतः यह वादीगण के पक्ष में प्रथमदृष्टया मामला निर्धारित किया जा सकता है।

2 एवं 3 सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति :– सुविधा का संतुलन साबित करने के लिए उभय पक्षों के द्वारा किये गये कथन तथा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज से पता चलता है कि इस वाद में वादिनी बंटवारा हेतु यह वाद दाखिल किया है। वादिनी के अनुसार सभी पक्षकारगण का संयुक्त स्वामित्व एवं कब्जा दखल है। अतः सुविधा का संतुलन भी वादिनी के पक्ष में प्रतीत हाता है। इसके अलावा प्रतिवादिनी सं0 7 सरिता चौबे द्वारा प्रतिवादी सं0 8 के देख भाल हेतु विवादित एराजी में 7 डी0 एराजी को विक्री करने हेतु अनुमति की मांग दिनांक– 30.01.2023 के आवेदन के माध्यम से की है, जो अभी भी लम्बित है। इससे प्रतीत होता है कि प्रतिवादी विवादित एराजी को विक्री करने को इच्छुक है। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि पूर्व में दिनांक– 13.06.2022 को इस वाद में यथास्थिति बहाल रखने का आदेश दिया गया था। वादिनी यह प्रार्थना करती है कि यदि 13.06.2022 के यथास्थिति बहाल करने का आदेश को विस्तारित नहीं किया गया तो प्रतिवादी विवादित एराजी की विक्री कर सकते हैं। वादिनी के इस तथ्य को प्रतिवादिनी सं0 7 के इस आवेदन से बल मिलता है, क्योंकि प्रतिवादी सं0 7 ने स्वयं विक्रय की अनुमति की मांग किया है तथा ऐसी स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि यदि विवादित एराजी का विक्रय किया जाता है तो इससे वादों की अधिकता होगी तथा वाद के निष्पादन में विलम्ब होगा तथा पक्षकारगण को अपूर्णीय क्षति होने की सम्भावना है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति वादिनी के पक्ष में बनता प्रतीत होता है। इसके अलावा विवादित एराजी के विक्रय या स्वरूप बदलने का कोई खतरा सामने दिखता है तो न्यायालय का कर्तव्य है कि वादग्रस्त सम्पत्ति की सुरक्षा की जाये। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादिनी का आवेदन दिनांक– 19.06.2023 एवं इम्तनाई आवेदन दिनांक– 16.03.2022 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 दफा 151 सी0 पी0 सी0 को स्वीकृत किया जना न्यायसंगत प्रतीत होता है, तदनुसार वादिनी का इन्तनाई आवेदन को स्वीकृत कया जाता है। उभय पक्षों को अगले आदेश तक विवादित एराजी पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जाता है। साथ ही यह निर्देश दिया जाता है कि कोई भी

लगातार
28.06.2023

पक्षकार बिना न्यायालय के अनुमति के विवादित सम्पत्ति का विक्रय नहीं करेगा। इस आवेदन के निस्तारण में किया गया कोई भी निर्धारण वाद के अंतिम निस्तारण पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा तथा उभय पक्ष मामले के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रयास करेंगे।

दिनांक– 03.07.2023 वास्ते सुनवाई।

(लेखापित)

ह0/–
(अखिलेश कुमार पाण्डेय)
सब जज प्रथम, डुमरॉव, बक्सर।